न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर (राज0)

अपील / रसद / 05 / 2026

बनय सिंह उचित मूल्य दुकानदार (एफपीएस कोड 18337) ग्राम पंचायत नारौली तहसील बयाना जिला भरतपुर

......अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी बयाना जिला भरतपुर

.....रेस्पो0

अपील विरुद्व आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर दिनांक 05.03.2026 व मुकदमा सरकार बनाम बनयसिंह नं. 3 / 25 अन्तर्गत धारा 22 खाद्य सुरक्षा अधिनियम

उपस्थितः–

1–श्री पंकज कुमार अभिभाषक अपीलान्ट,

2–प्रवर्तन अधिकारी,पेरोकार रसद,

निर्णय **दिनांक 8.5.2026**

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो0 जिला रसद अधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 05.03.2026 के खिलाफ पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.03.2026 में अपीलान्ट के प्राधिकार पत्र को निरस्त किया जाकर जमा शुदा प्रतिभूति राशि को जप्त किये जाने की आज्ञा पारित की गई है। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पो0 एवं पत्रावली तहत तलब की गई। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट एवं पैरोकार रसद की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित कथनों को दोहराते हुये बताया कि तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आज्ञा देने से पूर्व इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि अपीलान्ट के खिलाफ किसी भी उपभोक्ता की कोई शिकायत नहीं थी और ना ही अपीलान्ट ने किसी प्रकार से खाद्यान्न सामग्री का कोई गबन किया है। प्रवर्तन निरीक्षक ने दुकान का कोई निरीक्षण नहीं किया। अपीलान्ट के यहॉ कोई अतिरिक्त सामग्री भी प्राप्त नहीं हुई है। अपीलान्ट पुलिस में अरेस्ट था, इसी दरम्यान

......2

जिला कलक्टर
भरतपुर

उपभोक्ता खाद्य सामग्री लेने दुकान पर आये मेरे पुत्र ने सभी उपभोक्ताओं को खाद्य सामग्री का विधिवत वितरण किया। इसी दरम्यान मुझे निलम्बित कर दिया गया। और दुकान का वितरण किसी अन्य डीलर खूबीराम डीलर बरोदा को दिये जाने के आदेश दिये गये। इसी दरम्यान प्रार्थी जमानत पर बाहर आ गया और मुताबिक आदेश पोश मशीन इलैक्ट्रोनिक कांटा और स्टाक में उपलब्ध गेंहू को खूबीराम को दिनांक 5.11.25 को संभला दिया गया। केवल वैकल्पिक व्यवस्था वाले डीलर की शिकायत पर प्रार्थी का लाईसेंस निरस्त कर दिया गया है। अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर प्रार्थी का लाईन्सेस बहाल किया जावे।

पैरोकार रसद ने अपने कथनों में जाहिर किया कि दिनांक 15.10.2025 को अपीलान्ट डीलर गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तारी के दौरान अपीलान्ट के पुत्र ने बिना किसी आज्ञा के 15/10 से 4/11 तक खाद्यान्न वितरण किया गया। जो नियमों के खिलाफ है। पैरोकार रसद का कथन है कि अन्य डीलर को चार्ज में केवल पोस मशीन ही दी गई स्टाक खाद्यान्न नहीं दिया गया। जो दस्तावेज पेश किये हैं वे गलत हैं। अपीलान्ट द्वारा नियमों की अवहेलना करने के कारण लाईसेन्स निरस्त किया गया हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। तहत पत्रावली अवलोकन से जाहिर आया कि किसी भी उपभोक्ता को खाद्यान्न नहीं मिलने, काला बाजारी करने जैसी कोई शिकायत अपीलान्ट के खिलाफ नहीं की है। तहत पत्रावली में उपलब्ध डीलरों की चार्ज रिपोर्ट में पोश मशीन चार्जर कांटा आश्यश मशीन और गेंहू माह अक्टूबर का स्टॉक 1768 कि.ग्रा. और माह नवम्बर का गेंहू 7636 कि.ग्रा. चार्ज में लेना देना स्वीकार करते हैं तथा चार्ज रिपोर्ट पर प्राप्त करता डीलर के हस्ताक्षर किये हुए हैं, खूबीराम डीलर ने वरवक्त बयान में खाद्यान्न प्राप्त नहीं होना बताते हैं, प्रवर्तन निरीक्षक ने खूबीराम के बयानों में अपीलान्ट को क्रास (जिरह) करने का कोई मौका नहीं दिया गया, यानि प्रवर्तन निरीक्षक ने इकतरफा में बयान लेकर रिपोर्ट तैयार कर दी जो प्रचलित नियमों के खिलाफ है। जहाँ तक प्रश्न अपीलान्ट की गिरफ्तारी के दौरान बिना किसी अनुमति के उपभोक्ताओं के खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु दुकान पर आने पर उसके पुत्र ने उपभोक्ताओ को खाद्यान्न वितरण किया गया है जो नियमों के खिलाफ है। इस आरोप के लिये इतना बड़ा कठोर दन्ड दिया जाना तर्क संगत नहीं रहता है। इस त्रुटि/आरोप के लिये हम यह उचित पाते हैं कि अपीलान्ट डीलर की प्रतिभूति राशि 1000/–रुपये जप्त की जावे।

......3

जिला कलक्टर
भरतपुर

अपील / रसद / 05 / 2026
बनय सिह बनाम डी.एस.ओ

अतः आदेश है कि –

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.03.2026 में आंशिक संशोधन किया जाता है, अपीलाधीन आज्ञा में से प्राधिकार पत्र निरस्ती के आदेश को निरस्त किया जाता है, शेष प्रतिभूति जप्ती आदेश को यथावत रखा जाता है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि अगर अपीलान्ट डीलर अपनी प्रतिभूति राशि 1000/–रुपये जमा राजकोष करादे तो अपीलान्ट डीलर की वितरण व्यवस्था तुरन्त प्रभाव से चालू की जावे। निर्णय प्रति के साथ जिला रसद अधिकारी भरतपुर को तहत पत्रावली वापिस लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2026 को सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर,
भरतपुर